



झारखंड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

नामांतरण शुद्धि-पत्र

CRSLP3551588 7/7/2020



जिला का नाम	सिमडेगा	अनुमंडल नाम	सिमडेगा	अंचल का नाम	सिमडेगा	हल्का	हल्का 4			
इस्टेट का नाम	झारखण्ड	भाग वर्तमान(VOL)	19	पृष्ठ संख्या वर्तमान	3	थाना न.	80			
क्रमिक संख्या	केस न.	मौजा का नाम/ राजस्व थाना न.	थाना का नाम	स्वीकृत द्वारा और तिथि	परिवर्तन प्रकार	अभिधूत जिसमें नामांतरण संबंधित है खाता न. भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या वर्तमान	कारोबार विस्तृत सूचना खाता न. प्लॉट न. क्षेत्रफल	लगान	रजिस्टर 2 अद्यतन तिथि अभ्युक्ति	
1588	338 /R27 2019 - 2020	गोतरा/ 80	सिमडेगा	(अंचलाधिकारी) 06/07/2020	By Sale Deed No. 441 Dated 16/08/2016	192 1 36	192 1671 8 डिसमील	40	06/07/2020 (अंचलाधिकारी)	
<p>क्रेता का नाम : श्री कुलदीप डुंगडुंग , पिता-स्व० क्लेमेंट डुंगडुंग , जाति-खड़ीआ, पत्ता-केउदडीह थाना वो जिला सिमडेगा</p>				<p>जमाबंदी रैयत का नाम : मुदु खड़ीआ वो लड़आ खड़ीआ वो पौलुश खड़ीआ-पेशारन-धोघो खड़ीआ</p>			<p>विक्रेता का नाम : श्री मुल्ल केरकेठा, पिता-स्व० उर्बनुस केरकेठा , जाति-खड़ीआ, पत्ता-गोतरा खम्हटोली थाना वो जिला सिमडेगा</p>			
<p>Approved By : PANKAJ KUMAR अंचलाधिकारी सिमडेगा</p>										
<p>राजस्व कर्मचारी हल्का 4 को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हस्तान्तरित यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।</p>										

फारम नं. 1

Sehdule XX - From No. 114 (Hindi)

नोटिस मुताबिक एक 53 ए छोटानागपुर टेनेन्सी एक्ट सन् 1908 (एक्ट नं. 6 सन् 1906 सीडल फारम नं. 124)

(देखो कायदा 1)

बनाम डिप्टी कमिश्नर , साकिन

छोटानागपुर टेनेन्सी एक्ट 1909 की दफे में जैसा बताया गया है कि यह नोटिस पर तामिल दी जाय। हर एक इजमाल मालिक के लिए इसकी नकल भेजी जा रही है। रूपया नोटिस तामिल करने के लिए अदा कर दिया गया है बनाम शाकिन

साकिन

मनीऑर्डर

श्री श्री सिन्हा 2-5 रुपये

मोकाम

शबिनान

दाखिलकारी जोत

मालुम हों कि नीचे बताये हुए

श्री श्री सिन्हा

जिसके बारे कहा जाता आप मालिक हैं मुन्तिकल किये जाने

दाखिलकारी जोत के हिस्से

को रजिस्ट्री हो चुकी है रजिस्ट्री के मुताबिक

0.9 रुपये मनीऑर्डर के जरिये आपके पास भेजा जाता है। अगर आप मनीऑर्डर के रूपये को न लिखिएगा तो यह डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में माजगुजारी की अमानत की तरह रखा जाएगा या माजगुजारी खाते में चढ़ा दिया जाएगा।

तो यह डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में माजगुजारी की अमानत की तरह रखा जाएगा या माजगुजारी खाते में चढ़ा दिया जाएगा।

महाल का नाम और नौबी नं.	मालिक का नाम मय नम्बर	मौजे का नाम मय थाना नं.	थाना का नाम	खतियान नम्बर	मुकौल किए हुए तख्त का नं.	मुकौल किए हुए तख्त का नं.	मोटिकल जोत का सालाना लगान	दाखिलकारी जोत उसके हिस्से का मुतुकाल करते वाले का नाम बाप का और सकुल का	दाखिलकारी जा उसके हिस्से जिसके मुतुकाल किया जाय उसका बाप का और सकुल का	मुतुकाल की जाने का किस्म	मुतुकाल की रजिस्ट्री तारीख	रजिस्ट्री की फीस का रकम	कैश में

कमिश्नर साकिन

श्री श्री सिन्हा

जोत नं. 80

सिन्हा

192

1671

0.8 रुपये

01 रुपये

श्री श्री सिन्हा 2-5 रुपये के रजिस्ट्री के मुताबिक जोत का मुतुकाल किया जाय उसका बाप का और सकुल का

श्री श्री सिन्हा 2-5 रुपये के रजिस्ट्री के मुताबिक जोत का मुतुकाल किया जाय उसका बाप का और सकुल का

कैश

08.08.16

2-5 रुपये

2,80000/-

Mural Karketta

01.08.2016

Kuldeep Durgdung

110812016